फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

विनोद बनाम चंदाराम वगै0

केस संख्या : प्रा.पत्र 54/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	25.07.2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जाहिर किया की सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर मनबंट के अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त कर रहे है, प्रार्थीगण उक्त आराजीयात का सहखातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाये ही भूमि के विशिष्ट भूभाग पर निर्माण कार्य एवं विक्रय करने पर उतारू है, यदि ऐसा करते है तो प्रार्थीगण अपूरर्णीण क्षति होगी। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने आपत्ति की। बहस तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूकि बिना विभाजन के अप्रार्थीगण भूमि का बेचान अथवा निर्माण कार्य करते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वादी के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम खपरिया पटवार हल्का दुर्गाकाबास तहसील जालसू जयपुर के खसरा नम्बर 57 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.2600 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0200 में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, बेचान नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:39 IST
Reason: SelfAttested